LEGISLATIVE ASSEMBLY

NATIONAL CAPITAL TERRITORY OF DELHI **REVISED LIST OF BUSINESS**

Monday, 26 March 2018 / 05 Chaitra 1940 (Saka) 2.00 PM

1. **Question Hour:**

Starred Questions as shown in the separate list to be asked and replies given.

Special Mention(Rule-280):

The following Members to raise matters under Rule-280 with the permission of the Chair:

Shri Raju Dhingan

Shri Jagdish Pradhan

3. Shri Sahi Ram

4. Shri Pawan Kumar Sharma

5. Shri Manjinder Singh Sirsa

6. Ms. Rakhi Birla

7. Shri Mohinder Goval

8. Shri Raghuvinder Shokeen

9. Shri Girish Soni

10. Shri Narayan Dutt Sharma

Government Resolution (Rule-90):

Shri Rajender Pal Gautam, Hon'ble Minister of Social Welfare to move the following Resolution under Rule-90:

"The Legislative Assembly of the National Capital Territory of Delhi in its sitting held on 26 March 2018 resolves:

That having noted with serious concern the plight of officers of Delhi Administration Subordinate Services (DASS) Cadre, who have been facing acute stagnation at all levels due to long pending restructuring of their cadre and resultant lack of promotional avenues, our Cabinet approved the proposal for restructuring of DASS cadre vide Cabinet Decision No.2283 dated 31.12.2015.

That to our utter dismay, this Cabinet Decision could not materialize till now, even after lapse of more than two years due to lackadaisical and indifferent attitude of the officers responsible for examining such service matters and placing proposals before appropriate authority for approval/implementation.

Further, now having realized with great dissatisfaction that these authorities have overlooked the need of the hour and miserably failed in providing an efficient state administration of dedicated and motivated workforce to serve the people of Delhi, this House resolves that:

Pursuant to Cabinet Decision No.2283 dated 31.12.2015, DASS Cadre be restructured and parity between DASS cadre and CSS Cadre as mentioned in para 5 of the Cabinet Note be established immediately without any delay. Since the employees of Steno Cadre are also facing acute stagnation similar to DASS cadre, it is also resolved that Steno Cadre also be restructured on the pattern of CSSS cadre of GOI. All procedural formalities for amending the DASS Rules, 1967 and restructuring of DASS and Steno Cadre be completed by the Services Department exactly within a month from the date adoption of this Resolution by the House.

Further, this House also resolves that the proposal be considered by the Hon'ble Lt. Governor, Delhi on priority and approval be accorded for its expeditious implementation."

Discussion on Annual Budget (2018-19):

Members to take part in discussion on Annual Budget (2018-19) presented by Shri Manish Sisodia, Hon'ble Deputy Chief Minister on 22 March 2018.

Delhi C. Velmurugan 26 March 2018 **Secretary**

विधान सभा राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली सशोधित कार्यसूची सोमवार, 26 मार्च, 2018/ चैत्र 05, 1940 (शक्) 2.00 बजे अपराहन

- 1. प्रश्न कालः सदस्यों द्वारा पृथक् सूची में दिये गये प्रश्न पूछे जायेंगे और उनके उत्तर दिये जायेंगे।
- 2. विशेष उल्लेख (नियम—280) : निम्नलिखित सदस्यों द्वारा अध्यक्ष महोदय की अनुमति से नियम—280 के अंतर्गत विशेष उल्लेख के मामले उठाये जायेंगे:
 - 1. श्री राजू धिगान
 - 2. श्री जगदीश प्रधान
 - 3. श्री सही राम
 - 4. श्री पवन कुमार शर्मा
 - श्री मनजिंदर सिंह सिरसा

- 6. स्श्री राखी बिडला
- 7. श्री महेन्द्र गोयल
- श्री रघुविंदर शौकीन
- 9. श्री गिरीश सोनी
- 10. श्री नारायण दत्त शर्मा

3 सरकारी संकल्प (नियम–90):

श्री राजेन्द्रपाल गौतम, माननीय समाज कल्याण मंत्री नियम—90 के अंतर्गत निम्नलिखित संकल्प प्रस्तुत करेंगेः

["राष्ट्रीय राजधानी क्षेत्र दिल्ली की विधानसभा दिनांक 26.03.2018 को हुई अपनी बैठक में यह संकल्प करती है : दिल्ली प्रशासन अधीनस्थ सेवाएं (DASS) कैडर के अधिकारियों की स्थितियों पर गंभीर चिंतन करते हुए, जो कि बहुत समय से लंबित कैडर-पुनर्गठन के परिणामस्वरूप पदोन्नित के अवसरों में अभाव के कारण सभी स्तरों पर अत्यधिक ठहराव का सामना कर रहे हैं, हमारी कैबिनेट ने कैबिनेट निर्णय संख्या 2283 दिनांक 31.12.2015 के द्वारा DASS कैडर के पुनर्गठन के प्रस्ताव को स्वीकृति प्रदान की है।

हम अत्यंत निराश हैं कि जिन अधिकारियों पर इस प्रकार के सेवा—विषयों के परीक्षण और उपयुक्त प्राधिकारियों के समक्ष स्वीकृति / कियान्वयन हेतु प्रस्ताव प्रस्तुत करने का उत्तरदायित्व था, उनके ढुलमुल और उदासीन रवैये के कारण कैबिनेट का यह प्रस्ताव दो वर्ष से अधिक समय बीत जाने के बाद भी, अभी तक लागू नहीं हो सका। और अब यह सिद्ध हो जाने पर कि इन प्राधिकारियों ने समय की मांग की उपेक्षा की है और वे दिल्ली की जनता को एक समर्पित और सिक्वय श्रमशक्ति प्रदान करने में बुरी तरह विफल रहे हैं, यह सदन प्रस्ताव करता है कि : कैबिनेट निर्णय संख्या 2283 दिनांक 31.12.2015 के अनुरूप DASS कैडर को पुनर्गठित किया जाए और कैबिनेट नोट के पैरा 5 में प्रस्तावित DASS कैडर और CSS कैडर में तत्काल बिना किसी विलंब के समानता स्थापित की जाए। चूंकि DASS कैडर की ही भांति स्टेनो कैडर के कर्मचारी भी अत्यंत ठहराव का सामना कर रहे हैं, अतः यह प्रस्ताव किया जाता है कि स्टेनो कैडर को भी भारत सरकार के CSSS कैडर की भांति पुनगर्ठित किया जाए। DASS नियमावली, 1967 में परिवर्तन तथा DASS और स्टेनो कैडर के पुनर्गठन हेतु प्रक्रिया संबंधी औपचारिकताओं को, सेवाएं विभाग द्वारा इस संकल्प को सदन द्वारा स्वीकार किए जाने के ठीक एक महीने के अंदर पूरा कर लिया जाए।

साथ ही, यह सदन संकल्प करता है कि इसके त्वरित कार्यान्वयन के लिए माननीय उपराज्यपाल, दिल्ली द्वारा इस प्रस्ताव पर प्राथमिकता के आधार पर विचार करके स्वीकृति प्रदान की जाए।"]

4. वार्षिक बजट (2018-19) पर चर्चाः

श्री मनीष सिसोदिया, माननीय उप मुख्यमंत्री द्वारा दिनांक 22 मार्च 2018 को प्रस्तुत वार्षिक बजट (2018–19) पर चर्चा में सदस्य भाग लेंगे।

दिल्ली 26 मार्च, 2018

सी. वेलमुरूगन सचिव